रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 1971/पौष 17, 1892

No. 14] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 1971/PAUSA 17, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January 1971

S.O. 214. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its notification No. 434/RJ/66, dated the 11th August, 1966, namely:—

In column 3 of the Table appended to the said notification, for the entry '4. Sub-Divisional Magistrate, Dholpur' against item '9-Hindaun', the entry "4. Additional District Magistrate, Dholpur" shall be substituted.

[No. 434/RJ/70.]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी 1971

एस० ओ० 214.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/राज०/66 तारीख 11 अगस्त, 1966 में और आगे निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 में मद '9—हिन्डोन' के सामने प्रविष्टि "4— उपखंड मजिस्ट्रेट धौलपुर" के स्थान पर प्रविष्टि "4 अपर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर" प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 134/राज०/70]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971